

प्रेषक,

मेल

निदेशक,  
सेवायोजन, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी, नैनीताल।

सेवा में,

सचिव,  
कौशल विकास एवं सेवायोजन,  
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

पत्रांक

/डीटीईयू(सेवा0)/सेवा का अधिकार/पंजी0/2021

दिनांक 15 जुलाई, 2021

विषय:

सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित की गयी सेवाओं हेतु सेवाओं का नागरिक अधिकार पत्र उपलब्ध कराने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-137/XXX(6)/2021-20(04)16दिनांक-02 मार्च 2021 द्वारा सेवायोजन विभाग की 03 सेवायें-रोजगार पंजीकरण, नवीनीकरण तथा योग्यता वृद्धि सेवाओं को उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है।

उक्त के अनुपालन में नागरिक अधिकार पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(बी0 एस0 चलाल)

निदेशक सेवायोजन

2264-66

पृष्ठांकन:

/डीटीईयू(सेवा0)/सेवा का अधिकार/पंजी0/2021 ,

तददिनांकित

प्रतिलिपि 1/ सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को सादर प्रेषित।

2/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर/क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(बी0 एस0 चलाल )

निदेशक सेवायोजन

इथां

17/07/21

गुप्त PAF file बनाए गए नं.

442  
17/7/21

सेवायोजन विभाग का सेवा का नागरिक अधिकार पत्र

**उद्देश्य तथा विजन एवं मिशन**

उद्देश्य- रोजगार सेवाओं के माध्यम से बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार सहायता प्रदान करना।

विजन- सेवायोजन विभाग का विजन बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने में सहायता करना व मानव संसाधन प्रबन्धन की एक प्रभावी एजेन्सी के रूप में कार्य करना है।

मिशन- सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को सेवायोजन के उचित अवसर प्रदान करने हेतु उनका पंजीयन करना है। नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष के पंजीकृत अभ्यर्थियों के नामों का सम्प्रेषण कर उनको सेवायोजन के अवसर प्रदान करना है तथा निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित कर प्लेसमेण्ट ड्राईव के माध्यम से पंजीकृत रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार/प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार के अवसर प्रदान करना।

विभाग द्वारा सेवा के अधिकार अधिनियम '2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं का विवरण-

क्र०स०	प्रदत्त सेवा का नाम	सेवा का विवरण/प्रक्रिया	निर्धारित समय सीमा	शुल्क	सेवा का माध्यम
1-	पंजीयन	बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीयन किया जाता है। इस हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। 1. उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र 2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र 3. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र 4. जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो) 5. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) 6. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)	तीन दिवस	30रु०	ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर यह सेवा ऑनलाईन उपलब्ध है अभ्यर्थी द्वारा स्वयं/जनसेवा केन्द्र/ सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकता है।  (www.edistrict.uk.gov.in )
2-	नवीनीकरण	पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों के पंजीयन के 03 वर्ष पश्चात नवीनीकरण किया जाता है। बेरोजगार अभ्यर्थियों का नवीनीकरण किये जाने हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।	तीन दिवस	30रु०	ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर यह सेवा ऑनलाईन उपलब्ध है अभ्यर्थी द्वारा स्वयं/जनसेवा केन्द्र/ सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकता है।



		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पूर्व में जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र</li> <li>2. उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र</li> <li>3. जन्मतिथि प्रमाण पत्र</li> <li>4. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र</li> <li>5. जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो)</li> <li>6. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)</li> <li>7. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)</li> </ol>			(www.edistrict.uk.gov.in )
3-	शैक्षिक योग्यता में वृद्धि	<p>पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता वृद्धि किये जाने हेतु निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पूर्व में जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र</li> <li>2. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र</li> </ol>	तीन दिवस	शुल्क 30 रुपये	<p>ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर यह सेवा ऑनलाईन उपलब्ध है अभ्यर्थी द्वारा स्वयं/जनसेवा केन्द्र/ सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकता है।</p> <p>(www.edistrict.uk.gov.in )</p>

*(Handwritten signature)*

उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित प्रत्येक सेवावार पदाभिहित अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारियों के पदनाम

क्र० स०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गयी समय-सीमा
1	रोजगार पंजीकरण	सम्बन्धित जिला / नगर / सहायक सेवायोजन अधिकारी / उपप्रमुख यू०ई०बी०	तीन दिन	सम्बन्धित क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	30 दिन	उपनिदेशक सेवायोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून	60 दिन
2	रोजगार पंजीकरण / नवीनीकरण	सम्बन्धित जिला / नगर / सहायक सेवायोजन अधिकारी / उपप्रमुख यू०ई०बी०	तीन दिन	सम्बन्धित क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	30 दिन	उपनिदेशक सेवायोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून	60 दिन
3	पंजीकृत शैक्षिक योग्यता में वृद्धि	सम्बन्धित जिला / नगर / सहायक सेवायोजन अधिकारी / उपप्रमुख यू०ई०बी०	तीन दिन	सम्बन्धित क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	30 दिन	उपनिदेशक सेवायोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून	60 दिन





अभिहित अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के पदनाम, दूरभाष संख्या व ई-मेल आईडी

पद	कार्यालय का नाम	अधिकारी का नाम	पदनाम	फोन नम्बर / मोबाइल नम्बर	नियंत्रक अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी	ई-मेल	
मोडा	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोडा	श्री वाई0एस0 रावत	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	05962-230014/ 9412950854	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी अल्मोडा	realmora@gmail.com	
मोडा	नगर सेवायोजन कार्यालय रानीखेत	श्री वाई0एस0 रावत	नगर सेवायोजन अधिकारी	05966-221221/ 9412950854		empranikhet@gmail.com	
गेश्वर	जिला सेवायोजन कार्यालय बागेश्वर	श्री शंकर बोरा	जिला सेवायोजन अधिकारी	05963-220110/ 9917090550		employmentofficerbgr@gmail.com	
पावत	जिला सेवायोजन कार्यालय चम्पावत	श्री राजेश दुर्गापाल	जिला सेवायोजन अधिकारी	05965-230303/ 9458358897		deechp99@gmail.com	
श्रीरागढ़	जिला सेवायोजन कार्यालय पिथौरागढ़	श्रीमती भगवती धर्मशक्तू	जिला सेवायोजन अधिकारी	05964-225589/ 9997319676		empofficepth@gmail.com	
मसिंह र	जिला सेवायोजन कार्यालय उधमसिंह नगर	श्री आर0के0 पन्त	जिला सेवायोजन अधिकारी	05944-250691/ 9410559257		tydeo.udhamsingh@rediffmail.com	
मसिंह र	नगर सेवायोजन कार्यालय काशीपुर	श्री आर0के0 पन्त	नगर सेवायोजन अधिकारी	05947-262979/ 9410559257		teek2055@gmail.com	
तेताल	नगर सेवायोजन कार्यालय हल्द्वानी	श्री राजेश दुर्गापाल	नगर सेवायोजन अधिकारी	05946-234170/ 9458358897		emphaldwani@gmail.com	
तेताल	जिला सेवायोजन कार्यालय नैनीताल	श्रीमती प्रियंका गडिया	जिला सेवायोजन अधिकारी	05942-236087/ 9411163599		emp9821@rediffmail.com	
तेताल	नगर सेवायोजन कार्यालय रामनगर	श्रीमती प्रियंका गडिया	नगर सेवायोजन अधिकारी	05947-252654/ 9411163599		empramnagar@gmail.com	
तेताल	यू0ई0बी0 नैनीताल	श्रीमती प्रियंका गडिया	उपप्रमुख सेवायोजन अधिकारी	05942-231051/ 9411163599		emp9821@rediffmail.com	
रादून	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय	श्री अजय सिंह	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	0135-2653665/ 9690159000		क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून	reodehradun@gmail.com
रादून	विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय कालसी	सुश्री लक्ष्मी यादव	विशिष्ट सेवायोजन अधिकारी	01360-276131/ 8979870030			aeokalsi@gmail.com
री	जिला सेवायोजन कार्यालय टिहरी	श्री विक्रमदास	जिला सेवायोजन अधिकारी	01376-232497/ 9410101956			employmenttehrigarhwal@gmail.com
द्वार	जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार	श्री उत्तम कुमार	जिला सेवायोजन अधिकारी	01334-246468/ 8630736422	deoharidwar2016@gmail.com		
द्वार	यू0ई0बी0गुरुकुल कांगड़ी	श्री उत्तम कुमार	उपप्रमुख सेवायोजन अधिकारी	01334-246468/ 8630736422	deoharidwar2016@gmail.com		
द्वार	यू0ई0बी0 रुडकी	श्री उत्तम कुमार	उपप्रमुख सेवायोजन अधिकारी	01332-275880/ 8630736422	uebrke123@gmail.com		
काशी	जिला सेवायोजन कार्यालय उत्तरकाशी	श्री विनायक श्रीवास्तव	जिला सेवायोजन अधिकारी	01374-222134/ 7251088385	employmentuk466@gmail.com		



जनपद	कार्यालय का नाम	अधिकारी का नाम	पदनाम	फोन नम्बर/ मोबाइल नम्बर	नियंत्रक अधिकारी/ प्रथम अपीलीय अधिकारी	ई-मेल
डी	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लैन्सडौन	श्रीमती अनुमा जैन	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	1386-262210/ 9897346074	क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी लैन्सडौन	reolansdown@gmail.com
डी	नगर सेवायोजन कार्यालय पौडी	श्री मुकेश प्रसाद रयाल	नगर सेवायोजन अधिकारी	01368-222226/ 8755146699		teopauri@gmail.com
डी	यू0ई0बी0 श्रीनगर	श्री मुकेश प्रसाद रयाल	उपप्रमुख सेवायोजन अधिकारी	01346-252207/ 8755146699		uebibshreenagar@gmail.com
प्रयाग	जिला सेवायोजन कार्यालय रूद्रप्रयाग	श्री कपिल पाण्डे	जिला सेवायोजन अधिकारी	01364-233741/ 9410351667		deorudrpryaag@rediffmail.com
गोली	जिला सेवायोजन कार्यालय चमोली	श्री कपिल पाण्डे	जिला सेवायोजन अधिकारी चमोली	01372-252146/ 9410351667		empcha@gmail.com

ग में द्वितीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता व ई-मेल आई.डी.

अधिकारी का नाम	पदनाम	फोन नम्बर	ई-मेल	पता
श्रीमती चन्द्रकान्ता	उप निदेशक	0135-2712608 / 9456703500	dteuhld@gmail.com	क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर, देहरादून



## अति आवृत्तक प्रश्न

1. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन कराने की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्या है ?  
उत्तर— सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है तथा अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
2. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन करने का निर्धारित शुल्क क्या है ?  
उत्तर— सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन करने का निर्धारित शुल्क 30 रुपये है।
3. मैं अपना पंजीयन किस प्रकार सेवायोजन कार्यालय में कर सकता हूँ ?  
उत्तर— अभ्यर्थी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन स्वयं या जनाधार केन्द्र अथवा निकटस्थ सेवायोजन कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।
4. क्या पंजीयन के पश्चात मुझे नौकरी सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से मिल जायेगी ?  
उत्तर— सेवायोजन विभाग पंजीकृत युवाओं को सेवायोजन/रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है, इस कार्य हेतु समय-समय पर निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित कर प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से रोजगार प्रत्याशी युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरांत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।
5. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन हेतु किन-किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है ?  
उत्तर— पंजीयन हेतु निम्न प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है—
  1. उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र,
  2. जन्मतिथि प्रमाण-पत्र,
  3. शैक्षिक / तकनीकी योग्यता के अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र,
  4. जाति प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो),
  5. विकलांगता प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो)
  6. अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो)
6. क्या मेरा पंजीयन कार्ड का स्थानान्तरण अन्य सेवायोजन कार्यालय में हो सकता है ?  
उत्तर— सेवायोजन कार्यालयों में ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था होने के कारण अभ्यर्थी किसी भी स्थान से अपना पंजीयन करा सकता है। अतः पंजीयन कार्डों का स्थानान्तरण की व्यवस्था नहीं है।
7. नवीनीकरण की समय अवधि क्या है ?  
उत्तर— पंजीयन नवीनीकरण हेतु तीन वर्ष की समयावधि है जिसमें 2 माह का अंतरिम राहत भी दिये जाने का प्रावधान है। जैसे-अभ्यर्थी का पंजीयन 01 अगस्त 2018 का है तो उसका पंजीयन 31 अक्टूबर 2021 तक किया जा सकता है।
8. पंजीयन पश्चात अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता में वृद्धि करने की प्रक्रिया क्या होगी ?  
उत्तर— अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता वृद्धि हेतु स्वयं/जनाधार केन्द्र/निकटस्थ सेवायोजन कार्यालय में उपस्थित होकर, पूर्व में जारी अपना पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण ऑनलाइन अपलोड कराने होंगे।